1022 1007 **1000Rs.**

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

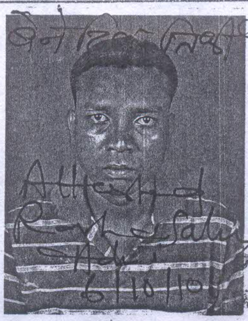

[illegible] ...तकारी अधिनियम 1908 की धारा ...46 (1) R.O. C.J... के अधीन [illegible]

[illegible]: भारतीय स्टाम्प अधिनियम
(यूडियन स्टाम्प एक्ट) 1899 की अनुसूची
I का 1 क संख्या 23 I.A. with
[illegible] यथावत् स्टाम्प
रहित (या [illegible] शुल्क [illegible]) the permission by
[illegible] R.D.C. Simdega vide [illegible]
[illegible] शुल्क अपेक्षित नहीं ।
6.10.10
11/2009-10
order dt: 3.10.09
MSY
6-10-10

§1§ लेख्यकारी :- श्री बेनेदिक तिर्की पिता स्व0 तेलेस्फोर तिर्की जाति मुण्डा पेशा खेती बारी निवास गांव गोतरा ठाकुर टोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा --------- विक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या ------679--------/ 2010

§2§ लेख्यधारिणी :- श्रीमती शोभा देवी पति श्री नवल किशोर बड़ाईक जाति चीक बड़ाईक पेशा गृहिणी निवास गांव सेवई थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा - भारतीय नागरिक ---- क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्या ------680--------/ 2010

1000Rs.

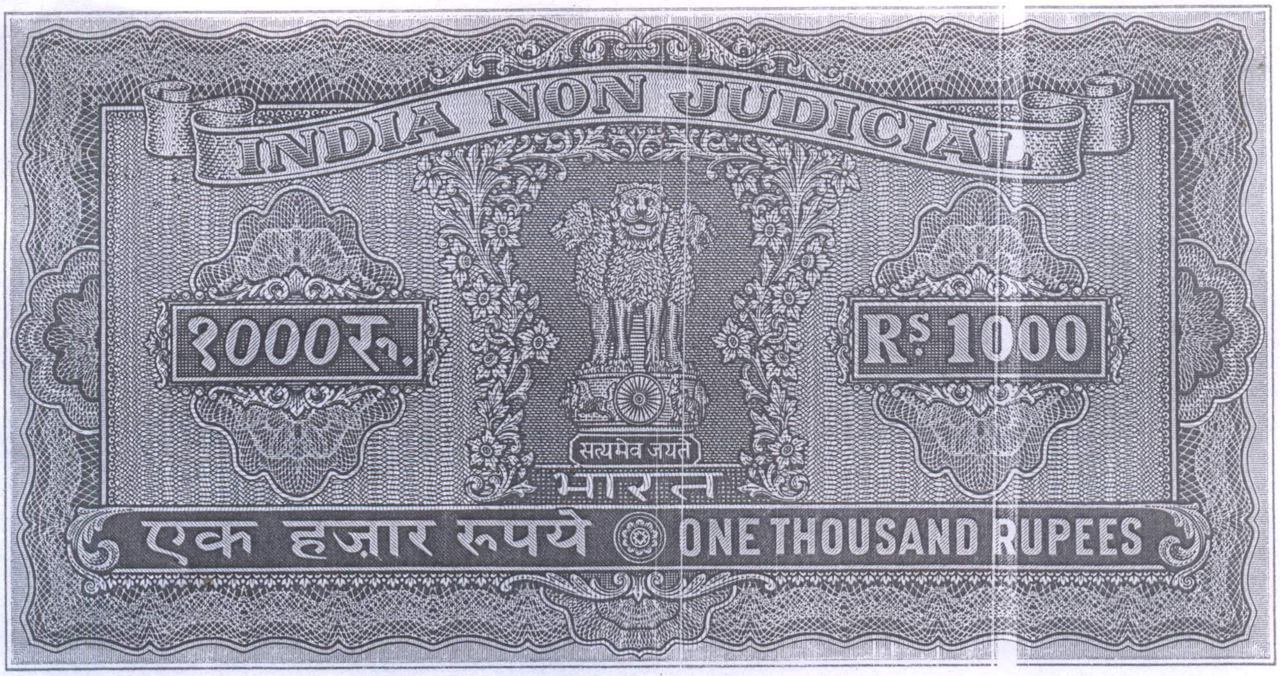

§3§ लेख्य प्रकार :- विक्रय-पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र-पुत्रादिक हमेशा के लिए । ______________________

§4§ मूल्य :- मोवलिग एक लाख पच्चास हजार पांच सौ रुपये अंके 1,50,500/- रुपये जिसका आधा पचहत्तर हजार दो सौ पच्चास रुपये अंके 75,250/- रुपये होता है ।

§5§ सम्पति :- एराजियात 0.07 एकड़ § सात डिसमिल § जमीन हकियत रैयती मय दखाली खातियानी वाके मौजा गोतरा ठाकुर टोली थाना नं0 80 थाना सिमडेगा सदर रजिष्ट्री ऑफिस वो जिला सिमडेगा के अन्दर खाता नं0 101 § एक सौ एक § प्लाट नं0 4882 § अट्ठालीस सौ बयासी § रकबा 0.34 एकड़ में से 0.07 एकड़ § सात डिसमिल § जमीन जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- प्लॉट नं0 4881 टांड़,

दक्षिण :- कच्ची रास्ता,

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश हाल खरीदगी,

पश्चिम :- इसी प्लॉट का अंश कच्ची रास्ता ।

कुल एक खाता का एक प्लाट का टुकड़ा रकबा 0.07 एकड़ सिर्फ जिसका मालगुजारी सालाने 02 पैसे अलावे शेष ।

1000Rs.

वर्णित विक्रीत जमीन आवासीय है जिस पर मकान अथवा अन्य किसी प्रकार का निर्माण नहीं हुआ है ।

§1§ चूंकि इस समय मुझे मकान बनाने के वास्ते रूपये की अति आवश्यकता है इसलिए मैंने वर्णित जमीन का कुल मूल्य मो0 1,50,500/- रूपये नगद भुगतान पाकर उपर्युक्त लेख्यधारिणी के पास रैयती बेचा और अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थ्यता में रह कर यह विक्रय-पत्र केवाला बैला कलामी दस्तावेज लिख दिया कि प्रमाण रहे ।

§2§ चूंकि हम दोनों पक्ष लेख्यकारी वो लेख्यधारी आदिवासी समुदाय के रैयत हैं अतः जमीन बिक्री हेतु आवश्यक अनुमति का आवेदन सी0एन0टी0एक्ट अन्दर दफा 46 का मुकदमा वाद संख्या 110/2009-10 श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार मोकाम सिमडेगा के न्यायालय में किया जिसकी स्वीकृत्यादेश दिनांक 03-10-2009 को हुई और मेमो नं0 867§1§ रेव0 दिनांक 3-10-2009 ई0 के अनुसार मुझे तथा जिला सब रजिस्ट्रार, सिमडेगा को प्रतिलिपि भेजी गई ।

⁅3⁆ मैं, प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन मेरी पुस्तैनी खातियानी है जो मेरे पर दादा पंडरू मुण्डा के नाम सर्वे नाप दर्ज है और वर्तमान में मेरे बड़े पिता फ्रांसिस मुण्डा वगैरह के नाम जमाबंदी दर्ज है तथा सरकारी मालगुजारी की रसीद कटती है वर्णित जमीन मेरे दादा के हिस्से में आयी और दादा के मृत्यु के बाद मेरे पिता तथा पिता के मरने के बाद उक्त जमीन मुझे उत्तराधिकारी के तौर पर हासिल हुआ जिस पर मेरा निर्विवाद दखल वो कब्जा है । जमीन पर किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या भार नहीं है । अब से उस पर सारा हक वो दखल कब्जा लेख्यधारी को हस्तान्तरित कर दिया अब से उस पर मेरा किसी प्रकार का दखल कब्जा वो हक अधिकार नहीं रहा न रहेगा और न भविष्य में मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का ।

⁅4⁆ चाहिए कि लेख्यधारिणी वर्णित जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर वो रह कर मकान सहन, कुआं बारी आदि बनावें वो जैसा मन चाहें अपने उपयोग में लावें वजरिये झारखण्ड सरकार के जमींदारी सिरिस्ते अंचल कार्यालय सिमडेगा से तारीख

1000Rs.

लेख्य सं दाखिल खारीज करा कर मालगुजारी की रसीद खास नाम से हासिल करें ।

सही- बेनेदिक्त तिर्की 6.10.2010

लेख्यकारी के कहे अनुसार इस विक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज का प्रारूप तैयार कर दोनों पक्षों को उनके गवाहों के सामने पढ़ कर सुना वो समझा दिया जिसे स्वीकार किये ।

प्रारूप कर्त्ता,

Rakesh Sahu
Adv.

तारीख - 6/10/10

मैं, लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही - बेनेदिक्त तिर्की
6.10.2010

प्रमाणित किया जाता है कि बेनेदिक्त तिर्की का बायां हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे सामने लिया गया है ।

राजेश्वर साहु
अधिवक्ता 6/10/10

1000Rs.

मैं, लेख्यधारी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व धारित वो खारीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही -शोभा देवी
6.10.10

सही-शोभा देवी 6.10.2010

प्रमाणित किया जाता है कि शोभा देवी की बांयें हाथ की पांचों अंगुलियों की छाप मेरे सामने ली गई है।

राजेश्वर साहू
अधिवक्ता
6/10/10

20 Rs.

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के कुल 7 पृष्ठों में कुल 564 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्शा सहित है ।

टंकक -

ह0/- नारायण दास
6/10/10

़ नारायण दास ़

कचहरी परिसर, सिमडेगा ।

6.10.2010